

दिश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
8/2/23	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>उमरा पत्तो के विडान अधिवक्ता को सुना तथा दारिज्ज दस्तावेजों का अवलोकन किया।</p> <p>प्रस्तावत बाद आवेदक डेगलाल शर्मा के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सरिचा द्वारा जाश्म किया। अंचल अधिकारी, सरिचा के अनुसार मौजा- चिरनवों के अ-नर्गत खाना-37, प्लॉट-852, रकबा 0.14 एकड़ भूमि का केवालासुडेगलाल शर्मा को हासिल है। दारिज्ज-खारिज्ज बाद सं०-735/1994-95 के द्वारा नामान्तरण कर जमाबंदी कायम की गई। सर्वे खतियान के अनुसार खाना-37, प्लॉट-852 का कुल रकबा 0.14 एकड़ है, जो खतियानी रैयत मोला मिथों वगैरों के नाम से खतियान में अंकित है। खतियानी रैयतों के वंदाजों के द्वारा खतियान में दारिज्ज रकबा से अधिक भूमि का विडय कर दिया गया है। फलतः यह दोहरी जमाबंदी का मामला है, अतः एक जमाबंदी रद्द करने की आवश्यकता है।</p>	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>जमाबंदी को रद्द करने की शक्ति राजस्व पदाधिकारी में निहित नहीं है। अतः इस पर विचार करना उचित नहीं है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं।</p>	
	<p>८ <u>8/2/23</u></p>	